POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A.-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

व्यवस्थापिका

संवैधानिक संरचना के तहत सरकार के तीन अंग होते हैं जिसमें व्यवस्थापिका एक महत्वपूर्ण संरचना है। व्यवस्थापिका सरकारी तंत्र की कानून बनाने वाली संरचना है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिन देशों में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता है वहां व्यवस्थापिका की भूमिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की भांति अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है।

भारत में इंग्लैंड एवं अमेरिका की तरह द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इसके सदस्यों का आमतौर पर निर्वाचन एक निश्चित समयांतराल पर किया जाता है। भारत में व्यवस्थापिका संसद कहलाती है। इसके दो सदन हैं— (1) लोकसभा (2) राज्यसभा। इसके सदस्यों को सांसद कहा जाता है। इंग्लैंड में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है — (1) हाउस ऑफ कॉमन (2) हाउस ऑफ लार्ड। इंग्लैंड में संसद सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है, उसे सम्प्रभु संसद कहा जाता है।